



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 27, गुरुवार, शाके 1944-फरवरी 16, 2023  
Magha 27, Thursday, Saka 1944- February 16, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT**

NOTIFICATION

**Jaipur, February 16, 2023**

**G.S.R.133** .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2023.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 42.-** In rule 42 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, -

- (i) in sub-rule (6), for the existing expression "bank guarantee", the expression "bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)" shall be substituted; and
- (ii) in sub-rule (9), for the existing expression "bank guarantee", the expression "bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)" shall be substituted.

**3. Amendment of rule 75.-** In clause (d) of sub-rule (3) of rule 75 of the said rules, for the existing expression "Bank guarantee/s of a scheduled bank", the expression "Bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG) of a scheduled bank" shall be substituted.

**4. Amendment of rule 75A.-** In sub-rule (1) of rule 75A of the said rules, for the existing expression "or Bank Guarantee", the expression "Bank Guarantee or electronic Bank Guarantee (e-BG)" shall be substituted.

**5. Amendment of rule 79F.-** In sub-rule (1) of rule 75F of the said rules, for the existing expression "bank guarantee", the expression "bank guarantee or electronic bank guarantee (e-BG)" shall be substituted.

[No. F. 2(1)/FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Manish Mathur,  
Joint Secretary to the Government.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

चैत्र 06, सोमवार, शाके 1945-मार्च 27, 2023  
Chaitra 06, Monday, Saka 1945- March 27, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2023

जी.एस.आर.133.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017दिनांक 16-02-2023 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 16, 2023

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 में,-

(i) उप-नियम (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बैंक गारंटी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) उप-नियम (9) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “बैंक गारंटी”के स्थान पर अभिव्यक्ति “बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)” प्रतिस्थापित की जायेगी।
1. **नियम 75 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 75 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां” के स्थान पर अभिव्यक्ति “अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)” प्रतिस्थापित की जायेगी।
  2. **नियम 75क का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 75क के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “या बैंक गारंटी” के स्थान पर अभिव्यक्ति “,बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)” प्रतिस्थापित की जायेगी।
  3. **नियम 79च का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 79च के उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “बैंक गारंटी”,के स्थान पर अभिव्यक्ति “,बैंक गारंटी या इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

---

Government Central Press, Jaipur.